फर्द अहकाम

य

रामलाल बनाम बालू

संख्या /वर्ष 55/2020 : ________________ /20 ________

दिनांक आज्ञा वा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
2·6·23	आज दिनांक 2·6·23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28·6·23 को पेश हों। MRC	
28·6·23	आज दिनांक 28·6·23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/7/23 को पेश हों। MRC	
13/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित बहस मुर्तजात रिपोर्ट सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/7/23 को पेश हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
20/7/23	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई मुर्तजात रिपोर्ट वादी का वाद मुताबिक [illegible] किया जाता है अभिनाम 2/5 [illegible] एकम से [illegible] विरुद्ध [illegible] जानकर शामिल [illegible] पत्रावली फैसल [illegible] बाद [illegible] दर्ज रजि० से कम हो दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 55/2020
निर्णय दिनांक : 20.07.2023

1 रतन लाल पुत्र सूरजमल चौधरी नि. शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी बी.18 शिल्प कालोनी, झोटवाडा, जयपुर।

वादी

बनाम

1. बालू पुत्र भूरा
2. किशना } पिता रघनाथ
3. मदन
4. गुल्ला
5. राम कुंवार
6. भोलू } पिता लाला
7. हनुमान
8. गिरधारी
9. गोपी
10. भैरू } पिता दोला
11. जीवण
12. तेजा राम
13. रामस्वरूप
14. संज्या बेवा दोला
15. नारायणी बेवा मंगला

समस्त जातियान जाट नि. शेरावतपुरा तन मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर

16. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर
17. सरकार जरिये तहसीलदार जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम शेरावतपुरा पटवार हल्का मुण्डोता गिरदावर हल्का हरमाडा, हाल गिरदावर हल्का रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खं.सं 10 रकबा 1.40 हैक्टेयर स्थित है, तथा उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में सामलाती भूमि है, तथा लगान भी सामलाती अदा किया जा रहा हैं। विवादित आराजीयात का पूर्व में ही मनबट के आधार पर विभाजन किया जा चुका है, जिसके अनुसार वादी का कब्जा स्वयं की हिस्सा की भूमि के अलावा प्रतिवादी सं. 15 के संपूर्ण हिस्सा पर भी काबिज है, जो भूमि खं.सं. 12/972 व 12 से पूर्व पश्चिम की ओर करीब 0.1650 है पर है। विवादित आराजीयात हाल राजस्व रिकार्ड में संयुक्त आराजीयात है, जिसका मनबट होकर सह काश्तकार काबिज है, परंतु हाल राजस्व रिकार्ड में भूमि सामलाती है, तथा लगान भी सामलाती अदा किया जा रहा है, तथा वादी उक्त भूमि का सह खातेदार काश्तकार है, जिसको उक्त आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इस कारण वादी द्वारा यह [illegible] तकासमा का मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। [illegible] आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाने हेतु वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहा कि हम [illegible] सहमति से इस भूमि का तकासमा करवा लेते है, जिस पर दिनांक 09.09.2011 [illegible] सहमति दी गई परंतु दिनांक 29.09.2011 को अचानक वादी [illegible] व भूमि का तकासमा करवाने से मना करने लगे तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी [illegible] हम इस भूमि का बिना तकासमा करवाये ही किसी दीगर व्यक्ति को बेचार कर देगें तथा तेरे के कब्जे से बेदखल करवाकर ही रहेगे।

अतः वाद वादी विरूद प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अलग अलग खाते व लगान कायम किये जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:08 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। दिनांक 21.11.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 बाबजुद रजिस्टर्ड नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 13.04.2012 को प्रकरण में बाई–मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर प्रकरण को प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने के आदेश पारित कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 08.05.2012 से पूर्व भिजवाई जावे। तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/13/508 दिनांक 25.04.2013 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। दिनांक 08.10.2013 को वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर वादी अधिवक्ता को सुना गया वादी अधिवक्ता की आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार आमेर को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 28.10.2021 को तहसीलदार आमेर द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कुर्रेजात पर वादी अधिवक्ता को सुना गया तहसीलदार आमेर द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट निर्धारित नियमों में तैयार नहीं होने से पुनः तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ/2022/6953 दिनांक 23.09.2022 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। बहस वादी अधिवक्ता एवं कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम शेरावतपुरा पटवार हल्का मुण्डोता गिरदावर हल्का हरमाडा, हाल गिरदावर हल्का रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 1.40 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	किशनाराम पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा.देह, गुल्लाराम पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा. देह, नारायणी देवी पत्नी मंगला हिस्सा 115/224 जाति जाट सा.देह, बालूराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/56 जाति जाट नि. प्लाट नं 37 ए डी के नगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार, मदनलाल पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा. देह, रतनलाल पुत्र सूरजमल हिस्सा 25/224 जाति जाट नि. बी–18 शिल्प कालोनी झोटवाडा खातेदार, रामकुवांर पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा.देह खातेदार	10	1.40	बारानी 2	5.60
	कुल		1.40		5.60

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE 01
Date: 2024.01.30 12:39:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	नारायणी देवी पत्नी मंगला हिस्सा संपूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	10/1	0.7187	बारानी 2	2.88
	किता	1	0.7187		2.88

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

2	रतनलाल पुत्र सूरजमल हिस्सा संपूर्ण जाति जाट नि. बी–18 शिल्प कालोनी झोटवाडा खातेदार,	10/2	0.1563	बारानी 2	0.63
	किता	1	0.1563		0.63
3	किशनाराम पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/21 जाति जाट सा.देह खातेदार, गुल्लाराम पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/21 जाति जाट सा.देह खातेदार, मदनलाल पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/21 जाति जाट सा. देह खातेदार, रामकुवांर पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/21 जाति जाट सा.देह खातेदार, बालूराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/21 जाति जाट नि. प्लाट नं 37 ए डी के नगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार,	10/3	0.5250	बारानी 2	2.09
	किता	1	0.5250		2.09

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

(श्यामा राठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:08 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 55/2020

निर्णय दिनांक : 20.07.2023

1 रतन लाल पुत्र सूरजमल चौधरी नि. शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी बी.18 शिल्प कालोनी, झोटवाडा, जयपुर।

वादी

बनाम

1. बालू पुत्र भूरा
2. किशना } पिता रघनाथ
3. मदन
4. गुल्ला
5. राम कुंवार
6. भोलू } पिता लाला
7. हनुमान
8. गिरधारी
9. गोपी
10. भैरू } पिता दोला
11. जीवण
12. तेजा राम
13. रामस्वरूप
14. संज्या बेवा दोला
15. नारायणी बेवा मंगला

समस्त जातियान जाट नि. शेरावतपुरा तन मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर

16. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर
17. सरकार जरिये तहसीलदार जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है । ग्राम शेरावतपुरा पटवार हल्का मुण्डोता गिरदावर हल्का हरमाडा , हाल गिरदावर हल्का रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी ख.सं 10 रकबा 1.40 हैक्टेयर का तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	किशनाराम पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा.देह, गुल्लाराम पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा. देह, नारायणी देवी पत्नी मंगला हिस्सा 115/224 जाति जाट सा.देह, बालूराम पुत्र भूराराम हिस्सा 1/56 जाति जाट नि. प्लाट नं 37 ए डी के नगर खातीपुरा रोड जयपुर खातेदार, मदनलाल पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा. देह, रतनलाल पुत्र सूरजमल हिस्सा 25/224 जाति जाट नि. बी–18 शिल्प कालोनी झोटवाडा खातेदार, रामकुंवार पुत्र रूघनाथ हिस्सा 5/56 जाति जाट सा.देह खातेदार	10	1.40	बारानी 2	5.60
	कुल	01	1.40		5.60

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर